न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारीः–रजनी माणीवाल, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–205/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री सुवालाल पिता हजारीलाल गुर्जर निवासी नागा का बाडिया त0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

---प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

--विपक्षी

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री ताराचंद जैन – अधिवक्ता–प्रार्थी
2– नायब तहसीलदार करेडा – विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांकः– 22.11.2017

प्रार्थी के द्वारा यहां विपक्षी के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर मौजा ग्राम कुंवार तह0 करेडा की आ0 न0 169/1 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आ0न0 170/2 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, आ0न0 171/2 रकबा 15 बिस्वा, आ0न0 732/168 रकबा 3 बीघा कुल किता 4 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार काश्तकार होने का कथन करते हुए उक्त आराजी पर आने जाने का कदीमा रास्ता सरकारी रास्ता की आराजी नम्बर 166 गे.मु. सडक से होकर विपक्षी की आ0न0 168 में से होकर प्रार्थी अपनी आ0न0 732/168 में प्रवेश करता है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी की आ0 न0 168 में 30 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व नक्शे में दर्ज करने की आज्ञा फरमावें।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने से पंजीबद्ध कर विपक्षी की सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये। विपक्षी को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षी ने अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.11.2017 को न्यायालय में पेश की।

पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित पेशी पर पेश हुई, पक्षकारों को आवाज लगाई गई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित व विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस, एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने, रांज बैलगाडी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार सुवालाल पिता हजारीलाल गुर्जर सा. कुंवार के नाम आ0 न0 169/1 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आ0न0 170/2 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, आ0न0 171/2 रकबा 15 बिस्वा, आ0न0 732/168 रकबा 3 बीघा कुल किता 4 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आ0 न0 168 रकबा 28.14 बीघा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू नहीं है तथा उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते में आ0न0 168 रकबा 28.14 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि आती है। रास्ते में ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्राथी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। ग्राम कुंवार पटवार हल्का मोटा का खेडा तहसील करेडा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आ0 न0 169/1 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आ0न0 170/2 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, आ0न0 171/2 रकबा 15 बिस्वा, आ0न0 732/168 रकबा 3 बीघा कुल किता 4 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि में जाने के लिये विपक्षी की आ0न0 168 रकबा 28.14 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी की खातेदारी हक की आ0 न0 168 में से 03 बिस्वा भूमि अर्थात 2 गट्ठा चौडाई का रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा में भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावें कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 3 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी दर से दोगुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर उसे राजकोष में जमा की जावें।

यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner